## कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं को सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ ''आईआईएफएल–एचएफएल'' को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

| उधारकर्ता (ओं)/ सहउधारकर्ता (ओं) के नाम | प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति) | कुल बकाया देयराशि (रु.) | मांग सूचना की तिथि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| **सुश्री ममता, श्री शांति शर्मा, प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10558810** | प्लॉट नंबर–3, तीसरी मंज़िल, एलएचएस खसरा नंबर–123/1/2, एक्सटेंडेड लाल डोरा, संत नगर, बुराड़ी, नॉर्थ दिल्ली–110084 वाली सम्पत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश । एरिया (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः कारपेट एरिया, बिक्री योग्य एरिया। सम्पत्ति का एरियाः 1080.00, 1350.0 | **रु. 20,05,452.00/– (बीस लाख पाँच हज़ार चार सौ बावन रुपये मात्र)** | **17–10–2025** | **15.09.2026** |

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 30/30ई , अपर ग्राउंड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, पीएच–IV गुड़गांव, हरियाणा।

**स्थानः दिल्ली, दिनांकः18/09/2026** **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

## अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण हेतु शुद्धिपत्र
## गीगा पाइप सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

यह शुद्धिपत्र दिनांक 10.09.2026 के प्रपत्र जी के संदर्भ में जारी किया जा रहा है, जो गीगा पाइप सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी पहचान संख्याः **U74999DL2020FTC368645,** पैनः **AA1CG4822F**) के मामले में प्रकाशित किया गया था, जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है, और निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया थाः

**i.** फाइनेंशियल एक्सप्रेस – अंग्रेजी, दिल्ली संस्करण, **ii.** जनसत्ता – हिंदी, दिल्ली संस्करण, **iii.** जयपुर महानगर टाइम्स – हिंदी, अलवर संस्करण, **iv.** इंडियन एक्सप्रेस – अंग्रेजी, जयपुर संस्करण, **v.** फ्री प्रेस जर्नल – अंग्रेजी, इंदौर संस्करण, **vi.** स्वदेश – हिंदी, सतना संस्करण

| क्र. | विवरण | मूल ब्यौरा | संशोधित ब्यौरा |
|---|---|---|---|
| 10. | रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 17-09-2026 | 27-09-2026 |
| 11. | संभावित संकल्प आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि | 19-09-2026 | 29-09-2026 |
| 12. | अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 21-09-2026 | 01-10-2026 |
| 13. | संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख | 22-09-2026 | 02-10-2026 |
| 14. | संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख | 23-09-2026 | 03-10-2026 |
| 15. | समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 03-10-2026 | 13-10-2026 |

एसडी/–
मनोज कुमार आनंद
समाधान पेशेवर
गीगा पाइप सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180
पंजीकृत पताः 2, सामुदायिक केंद्र, तीसरी मंज़िल, (पीवीआर/मैकडोनाल्ड के पास), नारायणा, नई दिल्ली–110028
ई–मेल आईडीः gigacirp2025@gmail.com

दिनांकः 18.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

## उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 2009-2014, 20वीं मंज़िल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, गुरुग्राम–122011
सीआईएनः U64990HR2016PTC057984

**अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु द्वितीय अनुवर्ती बिक्री सूचना**

**द्वितीय अनुवर्ती नीलामी के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत।**

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा मेसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के अधिकृत अधिकारी द्वारा 06.07.2025 को ले लिया गया है। सुरक्षित/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को ई–नीलामी के माध्यम से **"जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है", और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक ई–नीलामी https://www.bankeauctions.com पर आयोजित करने जा रहे हैं–

**संपत्ति का विवरण :** 80 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली भूमि, अर्थात 3 मरले, 10 कनाल 4 मरले, कित्ता 3, खेवट नं. 2322 के 3/204 हिस्से वाली संपत्ति का समस्त भाग, मौजा गोहाना, कबीर बस्ती, लाइन नगर पालिका के अंतर्गत, जिला सोनीपत, हरियाणा में स्थित। **सीमाएं इस प्रकार हैं:** पूर्वः सतबीर का मकान, पश्चिमः गली, उत्तरः संजय का प्लॉट, दक्षिणः सतबीर का प्लॉट।

| क्र. सं. | उधारकर्ता/ओं और गारंटर/ओ के नाम और पता | 1. नीलामी की तिथि और समय<br>2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि<br>3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय | 1. आरक्षित मूल्य<br>2. संपत्ति का ईएमडी<br>3. बोली वृद्धि राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. पवन कुमार पुत्र कालू राम (उधारकर्ता),<br>2. सुमन पत्नी पवन कुमार (सह–उधारकर्ता) दोनों उपरोक्त निवासी– आहर 58, आहर, पानीपत, हरियाणा – 132107।<br>लेन संख्या LXSON02925-260051246<br>**ऋण समझौता दिनांकः** 11.06.2025<br>**ऋण राशिः** रु. 21,60,000/–<br>**कुल देय राशिः** रु. 25,38,015.33/–<br>03–जुलाई–2026 तक +, 04–जुलाई–2026 से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क। | 1) **नीलामी की तिथिः 09.10.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ**<br>2) **केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 07.10.2026 शाम 5:00 बजे तक (भारतीय समयानुसार)**<br>3) **निरीक्षण की तिथिः 05.10.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच (भारतीय समयानुसार)** | 1. **आरक्षित मूल्यः 15,84,000 रुपये/–**<br>2. **बयाना राशिः 1,58,400 रुपये/–**<br>3. **बोली वृद्धिः 10,000 रुपये/– और इसके गुणक।** |

**नीलामी के नियम और शर्तें**

बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें सेवा प्रदाता की वेबसाइट, अर्थात www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाता सपोर्ट नं. 7291981124, 25, 26 पर भी संपर्क कर सकते हैं और श्री भाविक पंड्या से 8866682937 पर संपर्क कर सकते हैं, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com (सेवा प्रदाताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ) या auction@ummeedhfc.in पर। किसी भी संपत्ति–संबंधी प्रश्न के लिए, बोलीदाता उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 18002026127 पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी राशि डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, खाता संख्या 50200021387303, IFSC: HDFC0003906 के पक्ष में, ईएमडी की तारीख और समय से पहले जमा करनी होगी।

**दिनांकः 18.09.2026** **अधिकृत अधिकारी संपर्क नं. 18002026127**
**स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा** **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.**

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
**कॉर्पोरेट कार्यालयः** चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर बी – 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600032.
चंडीगढ़ शाखाः एससीओ 350–351–352, तीसरी मंज़िल, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़–160022
यमुना नगर शाखाः एससीओ 105, पहली मंज़िल, सेक्टर–17, हुडा कमर्शियल बेल्ट, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुना नगर–135003

### कब्जा नोटिस नियम 8 (1) के अंतर्गत

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3, 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं कॉलम (बी) में अंकित को निम्नवर्णित कॉलम (सी) में अंकित दिनाकों को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि कॉलम (डी) में अंकित और उस पर ब्याज, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम (एफ) में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कंपनी के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों पर भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को नीचे कॉलम (ई) में उल्लिखित संपत्तियों से निपटने के लिए चेतावनी दी जाती है और इस तरह के किसी भी सौदे पर ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ कॉलम (डी) में उल्लिखित राशि के लिए मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार, शुल्क के अधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके सुरक्षित परिसंपत्ति को मुक्त कर सकते हैं।

| क्र. सं. | कर्जदार का नाम एवं पता और ऋण खाता नं. | मांग नोटिस की तिथि | बकाया राशि | कब्जा सम्पत्ति का विवरण | भौतिक कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | ऋण खाता सं **HE01YAM00000073786** उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताः 1. रविंदर कौर पत्नी संगत सिंह, 2. संगत सिंह पुत्र दिलीप सिंह), दोनों निवासीः 830/14, जनकपुरी कॉलोनी, बराड़ा, अंबाला, 133201, हरियाणा 3. मैसर्स आर.के. बुटीक, प्रोपराइटर द्वारा (रविंदर कौर), पताः राजौरी रोड, बराड़ा, अंबाला, 133201, हरियाणा | 09.03.2026 | रु. 33,78,076/– दिनांक 09.03.2026 तक और साथ में उस पर ब्याज | अचल संपत्ति का वह पूर्ण भाग जिसका माप 5.25 मरला यानी 165 वर्ग गज गाँव मौजगढ़, तहसील बराड़ा, एमसी क्षेत्र के अंतर्गत, जिला अंबाला सेल डीड दस्तावेज सं. 1618 (दिनांक 02–02–2017) और सेल डीड दस्तावेज संख्या 645 (दिनांक 08–10–2020) के तहत पंजीकृत | 15.09.2026 |

स्थानः चंडीगढ़ / यमुनानगर / बराड़ा
दिनांकः 18.09.2026
प्राधिकृत अधिकारी,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

## सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः प्लॉट नंबर 761, 7वीं मंज़िल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ई–मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in वेबः www.savehfl.in, फोनः +91-98100 83317, फ्लेक्सः 011-61325100

### ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई–नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) **"जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, जो कुछ भी है"** के आधार पर की जाएगी।

| क्र. सं. | कर्जदारों का नाम | संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि | ई–नीलामी की तिथि व समयः समय : 60 मिनट | वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. श्री गोपाल तेली पुत्र श्री लादू लाल तेली और श्रीमती देऊ देवी पत्नी श्री गोपाल तेली निवासी वार्ड 20, तेली मोहल्ला, मंडल, डाकघरः मंडल, जिलाः भीलवाड़ा, राजस्थान–311403 यहां भी 98 तेली मोहल्ला, सलारिया खुर्द, तृ शाहपुरा, जिलाः भीलवाड़ा, राजस्थान–311401<br>ऋण खाता सं. **HSG/N/HEA/BHI/0125/0002** | भूखंड संख्या 06 पर संपूर्ण मकान, आराजी संख्या 7996 रकबा 0.1897 हेक्टेयर नहरी दूसरी जमीन में नप्ती 24 फीट बाई 44.9 58.6/2 फीट, कुल नप्ती 1094 वर्ग फीट, गांव–मंडल, तहसील–मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान<br>घर की सीमा इस तरह है:–<br>पूर्व : भूखंड संख्या 5<br>पश्चिम : दूसरी आराजी<br>उत्तर : दूसरी आराजी<br>दक्षिण : रास्ता 30 फीट<br>(भौतिक कब्जा के साथ) | आर.पी.–रु. 14,75,000.00<br>ईएमडी–रु. 1,47,500.00<br>रु. 10,000/– | 06/10/2026<br>पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) | कुल बकाया रुपये 17,76,073/– दिनांक 17/09/2026 तक |

ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एंव समय : 05.10.2026 के 4.00 बजे अप. तक
संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 25.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपरा. । अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें– 98100 83317
"नीलामी के नियम एंव शर्तें इस प्रकार है : 1) ई–नीलामी एमबीएफसी/एचएफसी द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट - www.bankeauctions.com पर "ऑन लाइन" आयोजित होगी। संपर्क करें सिविलेश कुमार, मोबाइल–7080804466, Email- delhi@c1india.com, हेल्पलाइन नंबर - 7291981124,25,26. 2) इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को लाभमोगी सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मारतीय स्टेट बैंक, सी बी नोएडा (04077) शाखा, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301, आईएफएससी कोड : SBIN0004077 के नाम में खाता संख्या 00000038728174634, में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/नकद/अंतरण/चेक द्वारा अथवा सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दैय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। 3) सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही 25% बोली राशि (ईएमआई सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। 4) निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता/नीलामी के क्रेता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व–प्रदत्त राशि (ईएमआई सहित) जब्त कर ली जाएगी। 5) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अथवा ई–नीलामी को निरस्त/निलम्बित करने अथवा कोई भी कारण बताये बिना किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से संपत्ति या उसके किसी भाग को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। 6) ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.bankeauctions.com तथा www.savehfl.in 7) हमारी जानकारी और सूचना के मुताबिक, संपत्ति पर कोई बोझ या दावा नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को स्वयंभाव, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित कर सकनेवाले दावों / अधिकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लेनी चाहिये। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन जो है वह हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की किसी भी प्रतिबद्धता अथवा अभिवेदन का संस्थापन नहीं करता और ना ही संस्थापन करता हुआ माना जायेगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी प्रकार से किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। उक्त विक्रय जो होगा वह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगा। ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही हैं।

दिनांकः 18–09–2026,
स्थानः दिल्ली एनसीआर
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

## हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
सीआईएन : यू74899डीएल1991पीएलसी046774
पंजी. कार्यालय : 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
फोन : 011-49487150, फैक्स : 011-49487150, ई–मेल : litigation@herofincorp.com, वेबसाइट : www.herofincorp.com

**"परिशिष्ट–IV–ए" (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सूचना**
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निबंधनों के अंतर्गत अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना**

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता (बी) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय ''जैसी है जहाँ है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'', ''वहाँ जो कुछ भी है आधार'' तथा पर निम्नांकित तिथि पर किया जायेगा। यह विक्रय उधारकर्ता की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकितानुसार बकाया राशि की वसूली करने के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य नीचे अंकित है तथा धरोहर राशि जो इस संबंध में जमा की जानी है वह भी क्रमवार ढंग से निम्नांकित है।

| पता सहित उधारकर्ता (बी) / गारंटरों (जी) के नाम | नीलामी के अंतर्गत आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता | आरक्षित मूल्य (आरपी) |
|---|---|---|
| 1. मैसर्स कालरा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स (उधारकर्ता), जिसका कार्यालय 415, चतुर्थ तल, डीएलएफ स्टार टावर, सेक्टर–30, गुरुग्राम, हरियाणा–122002 तथा अन्य पता : मकान संख्या के–117, प्रथम तल, साउथ सिटी 1, गुड़गांव, हरियाणा–122001<br>2. श्री आशीष कालरा (सह–ऋणधारक/ बंधककर्ता), निवासी : मकान संख्या के–117, प्रथम तल, साउथ सिटी 1, गुड़गांव, हरियाणा–122001<br>3. श्री पृथ्वी राज कालरा (सह–ऋणधारक), निवासी : मकान संख्या के–117, प्रथम तल, साउथ सिटी 1, गुड़गांव, हरियाणा–122001<br>4. सुश्री श्रुति शाह (सह–ऋणधारक), निवासी : मकान संख्या के–117, प्रथम तल, साउथ सिटी 1, गुड़गांव, हरियाणा–122001 | प्रथम तल पर स्वतंत्र फ्लैट, जिसका आवृत्त क्षेत्रफल 249 वर्ग मीटर है, जो भूखंड संख्या–117, ब्लॉक संख्या–के, साउथ सिटी, फेज–I, ग्राम सिलोखर, झाड़सा तथा सुखराली, तहसील वजीराबाद तथा जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं :– उत्तर : डीएससी–115, पश्चिम : एट्रियम, दक्षिण : डीएससी–117, पूर्व : मार्ग। | **रु. 5,11,25,000/–**<br>**ईएमडी राशि, आरक्षित मूल्य की 10%**<br>**रु. 51,12,500/–**<br>**वृद्धिशील राशि**<br>**रु. 5,00,000/–** |

| वह बकाया देयराशियां, जिनकी वसूली हेतु संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है | प्राधिकृत अधिकारी के नाम के साथ संपत्ति के स्थल पर निरीक्षण की तिथि / समय | धराज तथा प्रतिभागिता का अनुरोध पत्र, केवाईसी, प्रलेख, पैन कार्ड, धराज के साक्ष्य, इत्यादि जमा करने की अंतिम तिथि | 5 मिनट प्रत्येक के स्वतः विस्तार सहित ई–नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|
| **रु. 3,66,31,757.09/– (रुपये तीन करोड़ छियासठ लाख इकतीस हजार सात सौ सत्तावन तथा नौ पैसे मात्र) जो तिथि 11.04.2026 के अनुसार देय है, राशि पर लगने वाले अन्य प्रभारों के साथ।** | **19–10–2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी : श्री श्रवण कुमार झा, मोबाइल : 9599353339, ईमेल : sharwan.jha@herofincorp.com आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं– श्री पंकज श्रीवास्तव, मोबाइल नं. 9650947592, pankaj.srivastava@herofincorp.com** | **21–10–2026 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व तथा धराज, आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से** | **22–10–2026 समय : प्रातः 10.00 से अप. 1.00 बजे** |

इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे धराज की राशि खाता सं. 00030310016156, लाभार्थी का नाम : ''हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड'', आईएफएससी कोड : HDFC0000003 में या तो आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से अथवा डिमांड ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर के माध्यम से जमा करें।

**ई–नीलामी के नियम और शर्तें :–**
1. ई–नीलामी का आयोजन **''जैसी है जहाँ है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'', ''वहाँ जो कुछ भी है आधार''** पर किया जा रहा है तथा इसका संचालन ''ऑनलाइन'' किया जायेगा।
2. ई–नीलामी का संचालन मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से किया जायेगा। संचालन के संबंध में जानकारी **(हेल्पलाइन नंबर : 9173528727, 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643) से और उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर जाकर (support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net पर ई–मेल करके) प्राप्त की जा सकती है।**
3. यहाँ उस संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है जो प्रतिभूत ऋणदाताओं के संज्ञान में है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित कर सकनेवाले दावों / अधिकारों / बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लेनी चाहिये। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन जो है वह हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की किसी भी प्रतिबद्धता अथवा अभिवेदन का संस्थापन नहीं करता और ना ही संस्थापन करता हुआ माना जायेगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी प्रकार से किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। उक्त विक्रय जो होगा वह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगा। ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही हैं।

दिनांकः 18–09–2026,
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

## पिरामल फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) सीआईएनः L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर –601,6 वीं मंज़िल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070–टी. +91 22 3802 4000 **शाखा कार्यालयः** कार्यालय संख्या 211 और 212, दूसरी मंज़िल श्टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ –226010

### प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8–(1) और परिशिष्ट–IV के अनुसार अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणीध्गारंटर को जारी की गई मांग नोटिस (सूचनाओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उक्त नोटिस जारी किया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणीओंध्गारंटर(रों) और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत स